

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
सीपज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400096



Government of India
Ministry of Commerce & Industry
SEEPZ Special Economic Zone Authority
Andheri (E), Mumbai - 400096

वेबसाइट: www.seepz.gov.in | ई-मेल: dcseepz-mah@nic.in | टेलीफोन: 022-28290856/28294700

शुद्धिपत्र/ CORRIGENDUM

विषय: दिनांक 07.04.2026 को आयोजित 76वीं प्राधिकरण बैठक के कार्यवृत्त की कार्यसूची मद संख्या 06 के संबंध में शुद्धिपत्र।

Subject: Corrigendum in respect of Agenda Item No. 06 of the Minutes of the 76th Authority Meeting held on 07.04.2026.

07.04.2026 को आयोजित 76वीं प्राधिकरण बैठक के कार्यवृत्त का संदर्भ दिया जाता है। Reference is invited to the Minutes of the 76th Authority Meeting held on 07.04.2026.

सेवा शुल्कों के संशोधन से संबंधित कार्यसूची मद संख्या 06 के अंतर्गत कार्यवृत्त में आंशिक संशोधन करते हुए, निम्नलिखित अनुच्छेद: In partial modification of the minutes under Agenda Item No. 06 relating to revision of service charges, the following paragraph:

इसके अलावा, प्राधिकरण ने यह पाया कि यदि सेवाओं पर होने वाले खर्च में काफी बढ़ोतरी होती है—जिसका अनुमान 30 करोड़ रुपये या उससे ज्यादा की सीमा में है—तो सेवा शुल्क संरचना का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता पड़ सकती है। तदनुसार, यह निर्णय लिया गया कि ऐसी परिस्थितियों में, एक समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति का काम खर्च में हुई बढ़ोतरी के कारणों की जाँच करना, एक व्यापक समीक्षा करना और अथॉरिटी के विचार व अनुमोदन के लिए उचित उपायों—जिसमें सेवा शुल्कों में संशोधन भी शामिल है—की सिफ़ारिश करना होगा। इस समिति का गठन संविआ की अध्यक्षता में किया जाएगा, और इसके अन्य सदस्यों के नाम SEEMA और SGJMA द्वारा सुझाए जाएँगे।

“Further, the Authority observed that in the event of a substantial increase in expenditure on services estimated to be in the range of Rs. 30 crore or above, a need may arise for reassessment of the service charge structure. Accordingly, it was decided that under such circumstances, a Committee shall be constituted to examine the factors contributing to the increased expenditure, undertake a comprehensive review, and recommend appropriate measures, including revision of service charges, for consideration and approval of the Authority. The Committee will be formed under the Chairmanship of JDC and other members will be

suggested by SEEMA & SGJMA.”

इसे इस प्रकार पढ़ा जाएगा:

“इसके अलावा, प्राधिकरण ने सेवाओं पर होने वाले खर्च में काफी बढ़ोतरी देखी, जिसके कारण ऊपर बताए अनुसार, 01.04.2026 से सर्विस चार्ज में बदलाव करना ज़रूरी हो गया। इसलिए, यह फैसला किया गया कि एक कमेटी बनाई जाएगी जो खर्च में बढ़ोतरी के कारणों की जाँच करेगी, नियमित रूप से पूरी समीक्षा करेगी, और प्राधिकरण के विचार और मंजूरी के लिए उचित उपायों (जिसमें सर्विस चार्ज में बदलाव भी शामिल है) की सिफ़ारिश करेगी। यह कमेटी संविआ की अध्यक्षता में बनाई जाएगी और इसके अन्य सदस्यों के नाम SEEMA और SGJMA द्वारा सुझाए जाएँगे।”

shall be read as under:

“Further, the Authority observed a **substantial increase in expenditure on services, which necessitated the revision of service charges with effect from 01.04.2026, as stated above.** Accordingly, it was decided that a Committee shall be constituted to examine the factors contributing to the increased expenditure, undertake a comprehensive review **on a regular basis**, and recommend appropriate measures, including revision of service charges, for consideration and approval of the Authority. The Committee will be formed under the Chairmanship of JDC and other members will be suggested by SEEMA & SGJMA.”

कार्यवृत्त की अन्य सभी सामग्री अपरिवर्तित रहेगी।

All other contents of the Minutes shall remain unchanged.

यह सक्षम प्राधिकारी, सीपज़-सेज़ के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

This issues with the approval of the Competent Authority, SEEPZ-SEZ.

(मयूर मानकर)

संयुक्त विकास आयुक्त / सदस्य (सचिव),
सीपज़-सेज़